484 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1963]

अमृतधारा फार्मेसी

बनाम

सत्यदेव ग्प्ता

एस. के. दास, एम. हिद्यातुल्ला और सी. जे. शाह, जे. जे.)

व्यापार चिहन- प्राप्त करने या भ्रमित करने की संभावना- निर्धारण करने के लिए दृष्टिकोण- अधिग्रहण- व्यापार चिहन अधिनियम, 1940 (1940 का 5) का प्रभाव, धारा 8, 10

प्रत्यर्थी ने 1923 से कानपुर में अपने द्वारा निर्मित औषधीय तैयारी के संबंध में व्यापार- नाम "लक्ष्मणधारा" के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। यह स्वीकार किया गया कि प्रत्यर्थी का उत्पाद मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में बेचा गया था-अपीलकर्ता ने इस आधार पर पंजीकरण का विरोध किया कि 1903 से काफी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली एक समान औषधीय तैयारी के संबंध में ट्रेडमार्क अमृतधारा में इसका विशेष स्वामित्व हित था और प्रत्यर्थी का व्यापार नाम "लक्ष्मणधारा टी. एम"- धोखा देने और भ्रम पैदा करने की संभावना थी और इसलिए ट्रेड मार्क्स अधिनियम धारा 8 द्वारा पंजीकरण प्रतिबंधित कर दिया गया था।

ट्रेड मार्क्स के पंजीयक ने अभिनिर्धारित किया कि "अमृतधारा" और "लक्ष्मणधारा" के बीच पर्याप्त समानता थी तािक भ्रम पैदा हो और इससे "जनता" को धोखा मिलने की संभावना थी, लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा अपने उत्पाद के संबंध में लंबे समय तक व्यापार नाम "लक्ष्मणधारा" के उपयोग में अपीलकर्ता की स्वीकृति

अपीलकर्ता के ज्ञान के लिए धारा 10 (2) के तहत विशेष परिस्थिति थी। प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता के व्यापार नाम के साथ अपना नाम पंजीकृत कराने का अधिकार देना। हालाँकि, उन्होंने पंजीकरण को उत्तर प्रदेश राज्य के साथ बिक्री तक सीमित कर दिया।

अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों ने उच्च न्यायालय में अपील की जिसने प्रतिवादी को यह कहते हुए अपील करने की अनुमित दी कि "अमृत" और "धारा" शब्द हिंदी भाषा में सामान्य शब्द हैं और साथ ही "लक्ष्मण" और "धारा" शब्द भी हैं और किसी भी भारतीय द्वारा दोनों विचारों को भ्रमित करने की कोई संभावना नहीं है, उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी द्वारा ईमानदार समवर्ती उपयोगकर्ता था। सहमित के प्रश्न पर विशेष अवकाश द्वारा अपील पर यह प्रत्यर्थी के खिलाफ अभिनिर्धारित किया गया।

माना जाता है कि यह प्रश्न कि क्या एक व्यापारिक नाम पहले से ही पंजीकृत दूसरे के साथ अपनी समानता के कारण धोखा दे सकता है या भ्रम पैदा कर सकता है, पहली धारणा का विषय है और प्रत्येक मामले में निर्णय के लिए एक है और सभी पिरिस्थितियों का समग्र दृष्टिकोण लेकर निर्णय लिया जाना चाहिए। तुलना के मानक को अपनाया जाना चाहिए। न्याय में समानता औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मृति वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से है।

पियानोवादक कंपनी का आवेदन, (1906) 23 आर. पी. सी. 774, संदर्भित। कॉर्न प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग कंपनी बनाम शांग्रिला फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 1960] 1 एस. सी. आर. 968, संदर्भित।

इसके अलावा, यह माना गया कि समग्र रूप से दोनों नामों की तुलना के लिए विचार किया जाना चाहिए, न कि केवल उनके घटक शब्दों को अलग- अलग।

विलियम बेली (बर्मिंघम) लिमिटेड का आवेदन, (1935) 52 आर, पी. सी. 137,

संदर्भित।

यह भी माना गया कि वर्तमान मामले में माल के एक ही विवरण के संबंध में दोनों नामों में समानता से धोखा देने या भ्रम पैदा होने की संभावना थी; लेकिन पंजीयक द्वारा पाए गए तथ्यों ने मामले को उप- धाराओं धारा 10 (2) के भीतर लाने के लिए सहमति के अनुरोध को स्थापित किया और पंजीयक उस सीमा को लागू करने में सही था जो उसने लगाई थी।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः दीवानी याचिका सं 22/1960

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एफ. ए. सं. 62/1954 में दिनांकित 19 मार्च 1958 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से धारा एन. एंडले, रामेश्वर नाथ और पी. आई. वोहरा। प्रतिवादी के लिए जी. धारा पाथोक, धारा के. कपूर, बी. एन. कृपाल और गणपत राय।

27 अप्रैल 1962

न्यायालय का निर्णय एस के. दास, जे. द्वारा दिया गया था।

यह 8 दिसंबर, 1958 को इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अवकाश अनुदत्त द्वारा एक अपील है। 19 जुलाई, 1950 को हमारे समक्ष प्रतिवादी सत्य देव गुप्ता ने धारा 14 के तहत एक आवेदन किया। ट्रेड मार्क अधिनियम, 1940 (1940 का अधिनियम 5) (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत ट्रेड मार्क नियम, 1942 की चौथी अनुसूची की कक्षा 5 में एक जैव रासायनिक औषधीय तैयारी, जिसे आमतौर पर 'लक्ष्मणधारा' के रूप में जाना जाता है, के व्यापार नाम के पंजीकरण के लिए कानपुर के धनकुद्दी में स्थित रूप बिलास कंपनी के एकमात्र मालिक के रूप में प्रतिवादी द्वारा आवेदन किया गया था। आवेदन में दावा किया गया था कि

उक्त औषधीय तैयारी 1923 से 'लक्ष्मणधारा' के नाम से उपयोग में थी और पूरे भारत में और कुछ विदेशी बाजारों में भी गंदी थी; 'लक्ष्मणधारा' चिहन या नाम को वस्त् के लिए विशिष्ट कहा गया था, और यह कहा गया था कि अनुमानित वार्षिक 40,000/-कारोबार था। आवेदन की सूचना ट्रेड मार्क्स के पंजीयक, बॉम्बे दवारा दी गई थी और अमृतधारा फार्मेसी, एक सीमित देयता कंपनी और हमारे सामने अपीलकर्ता ने विरोध में एक आवेदन दायर किया था। इस आवेदन में अपीलकर्ता ने कहा कि 'अमृतधारा' शब्द पहले से ही अपीलकर्ता की औषधीय तैयारी के लिए एक व्यापार नाम के रूप में पंजीकृत था, और यह कि औषधीय तैयारी वर्ष 1901 में बाजार में श्रू की गई थी; इसकी महान लोकप्रियता के कारण कई लोगों ने अपने सामान को 'अमृतधारा' के रूप में देने के लिए नाम के विभिन्न प्रकारों के साथ इसी तरह की दवाओं का विज्ञापन किया। यह माना जाता था कि मिश्रित शब्द 'लक्ष्मणधारा' का उपयोग 'अमृतधारा' के समान दवा को दर्शाने के लिए किया जाता था और यह कहा गया था कि एकल शब्द 'धारा' का उपयोग पहली बार 'अमृतधारा' के संयोजन में किया गया था ताकि अपीलकर्ता की दवा को दर्शाया जा सके और दवा 'लक्ष्मणधारा' एक ही प्रकृति की हो और गुणवत्ता को आसानी से 'अमृतधारा' के रूप में पारित किया जा सके। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि 'अमृतधारा' पहले से ही पंजीकृत था और 'लक्ष्मणधारा' के समान नाम होने के कारण जनता को प्राप्त होने की संभावना थी, इसलिए पंजीकरण से इनकार कर दिया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी की ओर से एक जवाबी- हलफनामा दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 'अमृतधारा' और 'लक्ष्मणधारा' दो अलग- अलग नाम थे और कोई भी एक को दूसरे के लिए पारित नहीं कर सकता था। यह आगे कहा गया कि 1923 से 'लक्ष्मणधारा' की शुरुआत और बिक्री की लंबी अविध के दौरान, 'लक्ष्मणधारा' नाम के उपयोग पर अपीलकर्ता या किसी और की ओर से कभी कोई आपित नहीं उठाई गई थी। प्रत्यर्थी

द्वारा इस बात से इनकार किया गया था कि मिश्रित शब्द 'लक्ष्मणधारा' जनता को धोखा दे सकता है या कल्पना के किसी भी विस्तार से 'अमृतधारा' के लिए लिया या गलत समझा जा सकता है। प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि एकल शब्द 'धारा' का दवा के संबंध में कोई विशेष महत्व नहीं था, न ही उस शब्द का अर्थ दवा के संबंध में कोई विशेष या प्रभाव था। यह भी कहा गया था कि नाम में अंतर के अलावा, 'लक्ष्मणधारा' के शील, लेबल और पैकिंग के अपने विशिष्ट डिजाइन थे और समान प्रकृति की किसी भी अन्य दवा के साथ भ्रमित होने की संभावना नहीं थी, कम से कम 'अमृतधारा' के साथ, जिसकी पैकिंग रंग, डिजाइन और लेआउट में स्पष्ट रूप से अलग थी।

ट्रेड मार्क्स के पंजीयक ने 10 सितंबर, 1953 के अपने आदेश द्वारा आवेदन और उसके विरोध को निपटाया। ऐसा प्रतीत होता है कि दायर किए गए हलफनामों के अलावा, किसी भी पक्ष की ओर से कोई अन्य सब्त नहीं दिया गया था लेकिन समर्थन में अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए पहले के मामलों में कुछ निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां (जिनमें प्रतिवादी, हालांकि, एक पक्ष नहीं था), इसके पंजीकृत व्यापार चिहन 'अमृतधारा' के उल्लंघन का दावा दायर किया गया था। ऐसे मामलों की एक सूची संलग्नक 'ए' के रूप में मुद्रित की गई है। इन मामलों से पता चला कि उनके नाम के हिस्से के रूप में 'अमृत' या 'धारा' शब्द वाली कई दवाएं 1947 से बाजार में पेश की गई थीं और अपीलकर्ता ने इसके व्यापार चिहन के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई की। यहां तक कि ट्रेड मार्क पंजीकरण में भी अपीलकर्ता ने उन नामों को कम करने का सफलतापूर्वक विरोध किया, जिनमें व्यापार नाम के हिस्से के रूप में 'धारा' शब्द था। हमारे सामने एक सवाल उठाया गया है कि क्या ट्रेड मार्क्स के पंजीयक को उन मामलों में निर्णयों को ध्यान में रखना उचित था, उस प्रश्न पर हम बाद में विज्ञापन देंगे। पंजीयक ने पाया कि 1901 में पंडित ठाक्र दत्ता शर्मा ने लाहौर में एक

विशेष आयुर्वेदिक दवा का व्यवसाय शुरू किया जो सिरदर्द, दस्त, कब्ज और अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए थी। यह दवा पहली बार 'अमृत की धारा' के नाम से बेची गई थी, लेकिन 1903 में इसका नाम बदलकर 'अमृतधारा' कर दिया गया, पंडित ठाक्र दत्ता शर्मा ने 1942 में एक सीमित देयता कंपनी बनाई और 'अमृतधारा' नाम इस दवा का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नाम बन गया। दवाई की बिक्री लगभग एक लाख रुपये से 4 लाख प्रति वर्ष तक बढ़ गई। व्यवसाय लाहौर में किया जाता था लेकिन जब 1947 में विभाजन आया तो अपीलकर्ता ने देहरादून में अपना व्यवसाय स्थापित किया। पंजीयक ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि मामला धारा 8 पर टिका हुआ था। अधिनियम की धारा 10 (1) के अन्सार, उन्हें विपक्ष को अन्मित देने और आवेदन को खारिज करने में कोई संकोच नहीं होगा। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि पंजीयक का विचार था कि 'लक्ष्मणधारा' नाम व्यापार चिहन 'अमृतधारा' से इतना मिलता- जुलता है कि यह जनता को धोखा दे सकता है या व्यापार में भ्रम पैदा कर सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने इसद्वारा से पंजीयक ने अपनी राय व्यक्त नहीं की कि क्या 'लक्ष्मणधारा' नाम से जनता को धोखा मिलने या व्यापार में भ्रम पैदा होने की संभावना थी। प्रत्यर्थी ने दो अन्य परिस्थितियों पर भी भरोसा किया, अर्थात् (ए) 1923 से 'लक्ष्मणधारा' नाम का ईमानदार समवर्ती उपयोगकर्ता और (बी) 'लक्ष्मणधारा' नाम के उपयोगकर्ता में अपीलकर्ता की ओर से सहमति। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि ये दोनों परिस्थितियाँ मामले को हमारे भीतर 'विशेष परिस्थितियों' के अर्थ में लाती हैं।" 1602 अधिनियम, जो ट्रेडमार्क के एक से अधिक मालिकों द्वारा पंजीकरण की अन्मित देता है, जो समान हैं या लगभग एक- दूसरे से मिलते- जुलते हैं, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, जो पंजीयक को लागू करना उचित लगे। ईमानदार समवर्ती उपयोगकर्ता की बात पर पंजीयक ने अपीलकर्ता के पक्ष में पाया।

हालाँकि, स्वीकृति के बारे में उन्होंने प्रतिवादी के पक्ष में पाया और इन शब्दों में अपना निष्कर्ष व्यक्त किया।

"मेरे समक्ष मामले में यह विवादित नहीं है कि आवेदक ने 1923 में अपने उपयोगकर्ता को एक छोटे से तरीके से शुरू किया था और यह भी कहा जा सकता है कि लगभग 1942 तक आवेदक का उपयोगकर्ता महत्वहीन था। आवेदक के 30 मार्च, 1953 के शपथ पत्र के पैराग्राफ 12 में उन्होंने कहा कि निर्देशिकाओं, पर्चे, समाचार पत्रों आदि में विज्ञापनों का विवरण दिया गया है जिसमें आवेदक और विरोधी दोनों के अंकों का विज्ञापन किया गया था। शपथ पत्र में दिए गए तथ्यों से पता चलता है कि 1938 से लेकर आवेदक दवारा आवेदन की तारीख तक वह उन माध्यमों द्वारा से विज्ञापन दे रहा है जो आवेदक और विरोधियों दोनों के लिए समान थे। यहाँ हमारे पास एक मामला है जिसमें पंडित ठाक्र दत्ता शर्मा कहते हैं कि उन्हें आवेदक के निशान की कोई सूचना नहीं थी। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके कारखाने में लगभग 12 व्यक्ति थे जो लिपिक कर्मचारी थे और उनमें से ऐसे व्यक्ति थे जो प्रतिदवंदवी चिहन के विज्ञापन के प्रभारी थे। मुझे ऐसा लगता है कि विरोधियों और उनके एजेंटों को आवेदक के विज्ञापनों के बारे में अच्छी तरह से पता था और जब तक ट्रेड मार्क जर्नल में आवेदक के निशान का विज्ञापन नहीं किया गया, तब तक उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। दूसरे शब्दों में, विरोधी खड़े रहे और आवेदक को अपना व्यवसाय 1949 में विकसित करने की अन्मति दी और जैसा कि मैंने दिखाया है, उन्होंने छोटी श्रुआत से ही इन दवाओं को लगभग रु 43,000/- रखा। मेरी राय में, यह सहमित है जो व्यापार चिहन अधिनियम की खंड 10(2) में 'या अन्य विशेष परिस्थितियों वाक्यांश के तहत आती है और जो मुझे विरोधियों के मामले में घातक लगती है।"

पंजीयक के समक्ष प्रत्यर्थी की ओर से यह स्वीकार किया गया था कि उसका माल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में बेचा जाता था और अन्य राज्यों में केवल छिटपुट बिक्री होती थी। उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पंजीयक ने केवल उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री के लिए 'लक्ष्मणधारा' के पंजीकरण की अनुमति देने का आदेश पारित किया।

पंजीयक के निर्णय से दो अपीलों को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में धारा 76 के तहत भेजा गया था। अधिनियम के बारे मे एक अपील प्रत्यर्थी द्वारा और दूसरी अपीलकर्ता द्वारा भेजी गई थी। प्रत्यर्थी ने शिकायत की कि पंजीकरण केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है और अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि पंजीकरण को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि "अमृत" और "धारा" शब्द हिंदी भाषा में सामान्य शब्द थे और संयुक्त शब्द "आवृतधारा" का अर्थ है "अमृत का प्रवाह" या "अमृत का प्रवाह"; दो शब्द "लक्ष्मण" और "धारा" भी प्रसिद्ध सामान्य शब्द थे और एक साथ उनका अर्थ है "हमारा प्रवाह या लक्ष्मण का प्रवाह"। विद्वान न्यायाधीशों ने तब कहाः

"इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई भी भारतीय इन दोनों विचारों को भ्रमित करे। यहां तक कि ध्वन्यात्मक अंतर भी इतने व्यापक हैं कि किसी को भी भ्रमित नहीं कर सकते। अमृतधारा फार्मेसी का यह दावा कि 'अमृत और धारा' दोनों शब्द उनके सामान के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक भाग का अलग- अलग या किसी

भी संयोजन में उपयोग करने से गुमराह होने की संभावना है, एक असमर्थनीय दावा है। पूरा वाक्यांश 'अमृतधारा' पंजीकृत किया गया था और एकाधिकार केवल पूरे शब्द के उपयोग तक ही सीमित होना चाहिए। 'अमृत' और 'धारा' जैसी आम भाषा के शब्दों को किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, हम व्यापार चिहन "लक्ष्मणधारा" के पंजीकरण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।"

1923 से 1942 तक ईमानदार समवर्ती उपयोगकर्ता के रूप में विद्वान न्यायाधीशों ने फिर से प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन बिंदु सहमित पर वे प्रत्यर्थी के खिलाफ थे और अपीलकर्ता के पक्ष में पाए गए। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से कि दोनों दवाओं का विज्ञापन एक ही पित्रकाओं या पित्रकाओं में किया जा रहा था, यह नहीं पता चला कि प्रतिवादी द्वारा 'लक्ष्मणधारा' शब्द के उपयोग की ओर अपीलकर्ता का ध्यान आकर्षित किया गया था, हालाँकि, उनके इस निष्कर्ष को देखते हुए कि दोनों नामों से कोई भ्रम पैदा होने की संभावना नहीं थी और प्रतिवादी 1923 के बाद से एक ईमानदार समवर्ती उपयोगकर्ता था, उनका मानना था कि पूरे भारत के लिए ट्रेडमार्क 'लक्ष्मणधारा' के पंजीकरण से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं था। तदनुसार उन्होंने प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार कर लिया और 19 मार्च, 1958 के अपने निर्णय द्वारा अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने तब इस न्यायालय से विशेष अवकाश अनुदत्त प्राप्त की और वर्तमान अपील इस न्यायालय द्वारा दी गई अवकाश अनुदत्त के अनुसरण में दायर की गई है।

हमारे सामने दो मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा यह है कि क्या 'लक्ष्मणधारा' नाम से जनता को धोखा मिलने की संभावना थी या धारा 8 और धारा 10 (1) अधिनियम से अर्थ के भीतर व्यापार में भ्रम पैदा होने की संभावना थी। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य में 'लक्ष्मणधारा' नाम के उपयोग में अपीलकर्ता की ओर से ऐसी सहमति थी कि इसे इसके दायरे में लाया जाएः उप धारा 10 अधिनियम में उल्लिखित 'विशेष परिस्थितियाँ' अभिव्यक्ति में हम इन दो बिंदुओं पर उसी क्रम में चर्चा आदेश देंगे जिसमें हमने उन्हें कहा है।

हम सबसे पहले अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं 9. 8 और 10 को पढ़ सकते हैं।

8. कुछ मामलों के पंजीकरण का निषेध -

न तो कोई व्यापार चिहन और न ही किसी व्यापार चिहन का कोई हिस्सा पंजीकृत किया जाएगा जिसमें कोई निंदनीय डिजाइन या कोई ऐसी चीज शामिल हो जिसका उपयोग किया जाए।

- (क) इसके धोखा देने या भ्रम पैदा करने या अन्यथा होने की संभावना के कारण, न्यायाधीश के न्यायाधीशालय में संरक्षण के लिए वंचित किया जाएगा; या
- (ख) भारत के नागरिक के किसी भी वर्ग की धार्मिक संवेदनशीलताओं को चोट पहुँचाने की संभावना हो;
 - (ग) तत्काल लागू किसी भी कानून या नैतिकता के विपरीत होना।
- 10. समान या समान व्यापार चिहन के पंजीकरण का निषेध —(1) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, शेष किसी भी माल या माल के विवरण में कोई भी व्यापार चिहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जो एक ही माल या माल के विवरण के संबंध में पहले से ही रजिस्टर पर अलग- अलग मालिक से संबंधित व्यापार चिहन के साथ इंडेंशन है या जो लगभग ऐसे व्यापार चिहन से मिलता- जुलता है जिससे धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है।
 - (2) ईमानदारी से समवर्ती उपयोग या अन्य विशेष परिस्थितियों के मामले में,

जो पंजीयक की राय में ऐसा करना उचित समझते हैं, वह ऐसे व्यापार चिहनों के एक से अधिक मालिकों द्वारा पंजीकरण की अनुमित दे सकता है जो समान माल या माल के विवरण के संबंध में समान या लगभग एक- दूसरे से मिलते- जुलते हैं, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, जो पंजीयक लागू करना उचित समझे।

$(3) \times x$

यह ध्यान दिया जाएगा कि अनुभागों में उपयोग किए गए और हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक शब्द "धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना रखते हैं"। अधिनियम यह निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं करता है कि क्या धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है, इसलिए, प्रत्येक मामले को अपने विशेष तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए, और अधिकारियों का मूल्य वास्तविक निर्णय में उतना नहीं है जितना कि यह निर्धारित करने के लिए आवेदन किए गए परीक्षणों में निहित है कि क्या धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है। पंजीकरण के लिए एक आवेदन पर, पंजीयक या एक प्रतिद्वंद्वी आपित्त कर सकता है कि व्यापार चिहन सी. एल. के कारण पंजीकृत नहीं है। ऐसे मामले में पंजीयक को संत्ष्ट करने की जिम्मेदारी आवेदक की है कि जिस व्यापार चिहन के लिए आवेदन किया गया है, उससे धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना नहीं है। जिन स्गमताओं में न्यायाधिकरण मानता है कि इस बारे में संदेह है कि क्या धोखे की संभावना है, आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। एक व्यापार चिहन के रजिस्टर पर पहले से ही किसी अन्य के साथ समानता से धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है यदि यह उस बाजार में अपने वैध उपयोग के दौरान ऐसा करने की संभावना है जहां उस बाजार में व्यापारियों दवारा दो चिह्नों का उपयोग किया जाता है। मामले पर विचार करते समय, मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए जैसा कि पार्कर, जे. ने पियानोवादक कंपनी के अन्प्रयोग में देखा था, जो दो शब्दों की त्लना का भी मामला था -

"आपको दोनों शब्दों को लेना होगा। आपको उन्हें उनके रूप और उनकी ध्वनि दोनों से आंकना चाहिए। आपको उन वस्त्ओं पर विचार करना चाहिए जिन पर उन्हें लागू किया जाना है। आपको उस ग्राहक की प्रकृति और प्रकार पर विचार करना चाहिए जो उन वस्तुओं को खरीदने की संभावना रखता है। वास्तव में आपको आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए और आपको आगे इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या होने की संभावना है यदि उन व्यापार चिहनों में से प्रत्येक का उपयोग सामान्य तरीके से संबंधित मालिकों के माल के लिए व्यापार चिह्न के रूप में किया जाता है। (1) वे व्यक्ति कौन हैं जिनके समानता से धोखा देने या भ्रमित होने की संभावना होनी चाहिए, और (2) यह तय करने में कि क्या ऐसी समानता मौजूद है, तुलना के कौन से नियम अपनाए जाने चाहिए। जहां तक भ्रम की बात है, यह शायद एक ग्राहक की मानसिक स्थिति का एक उचित विवरण है, जो एक निशान को देखने पर सोचता है कि यह उस सामान पर निशान से अलग है जिसे उसने पहले खरीदा था, लेकिन संदेह है कि क्या वह छाप अपूर्ण स्मृति के कारण नहीं है, (देखें ट्रेड मार्क्स पर केरली, 8 वां संस्करण, पी 400)"

आइए हम इन परीक्षणों को अपने विचाराधीन मामले के तथ्यों पर लागू करें। यह विवादित नहीं है।

इससे पहले कि दो नाम 'अमृतधारा' और 'लक्ष्मणधारा' वस्तुओं के एक ही विवरण के संबंध में उपयोग में हैं, अर्थात् विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन के लिए एक औषधीय तैयारी। इस तरह की औषधीय तैयारी ज्यादातर उन लोगों द्वारा खरीदी जाएगी जो डॉक्टर के पास जाने के बजाय अपनी पीड़ा को जल्दी दूर करने के लिए एक दवा खरीदना चाहते हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों, साक्षर और साथ ही अनपढ़। जैसा कि हमने कॉर्न प्रोडक्ट्स रिपाइनिंग कं. बनाम शांग्रिला खाद्य उत्पाद लिमिटेड में कहा था। इस प्रश्न को औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मृति वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए दो नामों 'अमृतधारा' और 'लक्ष्मणधरे' की समग्र संरचनात्मक और ध्वन्यात्मक समानता, हमारी राय में, धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है। हमें दो मिश्रित शब्दों 'अमृतधारा' और 'लक्ष्मणधारा' की समग्र समानता पर विचार करना चाहिए। हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय के विदवान न्यायाधीशों का यह कहना सही था कि कोई भी भारतीय एक- दूसरे के लिए गलती नहीं करेगा। औसत बुद्धिमत्ता और अपूर्ण स्मृति का एक अनजान खरीदार, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना था, नाम को इसके घटक भागों में विभाजित नहीं करेगा और इसके व्यूत्पत्ति संबंधी अर्थ पर विचार नहीं करेगा या यहां तक कि मिश्रित शब्दों के अर्थ को 'अमृत की धारा' या 'लक्ष्मण की धारा' के रूप में नहीं मानेगा। वह समग्र स्तर और ध्वन्यात्मक समानता और उस दवा की प्रकृति के बारे में अधिक जानेंगे जो उन्होंने पहले खरीदी है, या जिसके बारे में बताया गया है, या जिसके बारे में अन्यथा सीखा है और जिसे वह खरीदना चाहते हैं। जहां व्यापार बड़े पैमाने पर अनपढ़ या ब्री तरह से शिक्षित ट्यक्तियों को बेचे जाने वाले सामानों से संबंधित है, यह कहने का जवाब है कि हिंदी भाषा में शिक्षित व्यक्ति व्युत्पत्ति या वैचारिक अर्थ से जाएगा और 'अमृत की धारा' के बीच का अंतर देखेगा और 'लक्ष्मण का प्रवाह' 'शाब्दिक अर्थ में लक्ष्मण की धारा का कोई अर्थ नहीं है, जिसका अर्थ है कि किसी को आगे यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि 'धारा या धारा' रामायण के लक्ष्मण की तरह ही श्द्ध और मजबूत है। एक साधारण भारतीय ग्रामीण या नगरवासी शायद रामायण की कहानी से परिचित होने के कारण बक्शमान को जानते होंगे, लेकिन हमें संदेह है कि क्या वह 'अमृतधारा' और 'लक्ष्मणधारा' के बीच तथाकथित वैचारिक अंतर को देखने की हद तक व्य्त्पत्ति संबंधी

होंगे। वह व्यापक रूप से ज्ञात औषधीय तैयारी के संदर्भ में दोनों नामों की समानता से अधिक जानेगा जो वह अपनी बीमारियों के लिए चाहता है।

हम इस बात से सहमत हैं कि 'धारा' शब्द का उपयोग, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'धारा या धारा', अपने आप में 'मामले का निर्णायक' नहीं है। यहाँ हमें जो विचार करना है वह है कम्पो की समग्र समानता साइट शब्द, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि दोनों नामों वाले सामान एक ही विवरण की औषधीय तैयारी हैं। हम जानते हैं कि एक निशान को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जाता है, क्योंकि असामान्य रूप से मूर्ख लोग, "मूर्खों पर मूर्ख", धोखा खा सकते हैं। दोनों नामों की एक महत्वपूर्ण तुलना अंतर के कुछ बिंदुओं को प्रकट कर सकती है, लेकिन औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मृति के एक अनजान खरीदार को उस दवा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दोनों नामों की समग्र समानता से धोखा दिया जाएगा जिसकी वह कुछ अस्पष्ट स्मृति के साथ तलाश कर रहा है कि उसने पिछले अवसर पर एक समान नाम के साथ एक समान दवा खरीदी थी। ट्रेडमार्क वह पूरी चीज है जिस पर पूरे शब्द पर विचार किया जाना चाहिए। 'एरियोटिक्स' (ट्रेडमार्क 'इरेक्टर' के मालिकों द्वारा विरोध) को पंजीकृत करने के आवेदन के मामले में, जे. फारवेल ने विलियम बेली (बिस्मिंघम) लिमिटेड के आवेदन में कहा:

"मुझे नहीं लगता कि शब्द का एक हिस्सा लेना और दूसरे शब्द के एक हिस्से के साथ इसकी तुलना करना सही है; एक शब्द को संपूर्ण माना जाना चाहिए और दूसरे शब्द के साथ तुलना की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि शब्द को विभाजित करना और उसके एक हिस्से को दूसरे शब्द के एक हिस्से से अलग करने की कोशिश करना एक खतरनाक तरीका है।"

न ही हमें लगता है कि उच्च न्यायालय का यह सोचना सही था कि अपीलकर्ता

आम हिंदी शब्द 'धारा' में एकाधिकार का दावा कर रहा था। हमें नहीं लगता कि यह यहाँ काफी स्थिति है। अपीलकर्ता जो दावा कर रहा है वह अधिनियम की धारा 21(8) के तहत उसका अधिकार है। अपने व्यापार चिहन के उपयोग का अनन्य अधिकार और एक व्यापार चिहन के पंजीकरण का विरोध करना जो इसके व्यापार चिहन से इतना मिलता-ज्लता है कि यह धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है।

नाइट कैप और रेड कैप, लिमिट एंड सिमट, रिटो और लिटो, नोट्रेट और फिल्ट्रेट आदि जैसे मिश्रित शब्दों के उपयोग से संबंधित बड़ी संख्या में निर्णय उच्च न्यायालय में उद्धृत किए गए थे, कुछ और हमारे सामने रखे गए हैं। इस तरह के निर्णय, विपरीत शब्दों से उत्पन्न होने वाली भ्रामक समानता के उदाहरण, व्यापार चिहनों पर कालीं, 8वें संस्करण में पृष्ठ 429 से 434 पर संक्षेपित किए गए हैं। उन सभी का उल्लेख करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, प्रत्येक मामले का निर्णय या उसका अपना तथ्य होना चाहिए। धोखा देने या भ्रम पैदा करने के लिए किस हद तक समानता आवश्यक है, चीजों की प्रकृति को प्राथमिकता की परिभाषा देने में असमर्थ होना चाहिए।

संलग्नक 'ए' में निर्णयों के बारे में, हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 43 और धारा 40 के कारण बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थे। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वे धारा 5 के तहत स्वीकार्य थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 उन विशेष उदाहरणों को दर्शाती है जिनमें अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा-21 के तहत अपने अधिकार का दावा किया था। हम इस मामले के प्रयोजनों के लिए इस प्रश्न पर निर्णय लेना अनावश्यक मानते हैं क्योंकि वे निर्णय भले ही धारा 13 के तहत स्वीकार्य हों। इस सवाल पर कोई प्रकाश न डालें कि क्या- 'अमृतधारा' और 'लक्ष्मणधारा' एक- दूसरे से इतने मिलते- जुलते हैं कि धोखे या भ्रम पैदा करते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे हमें पहले के निर्णयों की परवाह किए

बिना पहली छाप के मामले के रूप में निर्धारित करना चाहिए।

सभी संदर्भों पर विचार करने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वस्तुओं के एक ही विवरण के संबंध में दोनों नामों के बीच समग्र समानता से अधिनियम कि धारा 10(1) के अर्थ में धोखाधड़ी या भ्रम पैदा होने की संभावना थी और पंजीयक ने जो विचार व्यक्त किया वह सही था। उच्च न्यायालय गलत तरीके से इसके विपरीत दृष्टिकोण रख रहा था।

अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, जो स्वीकृति का है। यहाँ फिर से हम ट्रेड मार्क्स के पंजीयक से सहमत हैं, जिन्होंने इस निर्णय में पहले उद्धृत अपने आदेश के एक पैराग्राफ में उन तथ्यों और परिस्थितियों का सारांश दिया है जिन पर सहमित की याचिका आधारित थी। इस मामले को इस प्रकार हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम 32 (दूसरा संस्करण) पृष्ठ 659-657, पैराग्राफ 966 में रखा गया है। "यदि कोई व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति को, जो सद्भावना से काम कर रहा है, किसी व्यापार नाम या चिहन के तहत प्रतिष्ठा बनाने की अनुमित देता है, जिसके लिए उसका अधिकार है, तो वह शिकायत करने का अपना अधिकार खो सकता है, और इस तरह के नाम या काम का उपयोग करने से खुद को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरे द्वारा लंबे समय तक उपयोग करने वाला भी, यदि धोखाधड़ी करता है, तो अंतिम निषेधाजा के वादी के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है; दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा कोई अच्छी इच्छा बनाने से पहले त्वरित चेतावनी या कार्रवाई वादी के मामले में भौतिक रूप से सहायता कर सकती है।"

हमें नहीं लगता कि प्रत्यर्थी द्वारा उनके व्यापारिक नाम 'लक्ष्मणधारा' का कोई धोखाधड़ी वाला उपयोगकर्ता था। इस नाम का उपयोग पहली बार 1923 में उत्तर प्रदेश में एक छोटे से तरीके से किया गया था। बाद में इसका अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया गया और उन्हीं पत्रिकाओं में दोनों व्यापार चिहनों का प्रचार किया गया। पंजीयक का निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता और उसके प्रतिनिधि प्रत्यर्थी के विज्ञापनों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, और अपीलकर्ता खड़े रहे और प्रत्यर्थी को अपना व्यवसाय विकसित करने की अनुमति दी जब तक कि यह 1923 में एक छोटी सी शुरुआत से बढ़कर 1946 में रु 43,000/- हो जाए। ये परिस्थितियाँ सहमति की दलील को स्थापित करती हैं और मामले को उप- धाराओं (2) से धारा 10, के भीतर लाती हैं और प्रत्यर्थी की ओर से की गई इस स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए कि उसका माल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में बेचा गया था, पंजीयक उस सीमा को लागू करने में सही था जो उसने लगाई थी, इन कारणों से, हम अपील की अनुमति देंगे, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरिकनार कर देंगे, और 10 सितंबर, 1953 को व्यापार चिहन पंजीयक, बॉम्बे के आदेश को बहाल करेंगे। इस मामले की परिस्थितियों में, लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।